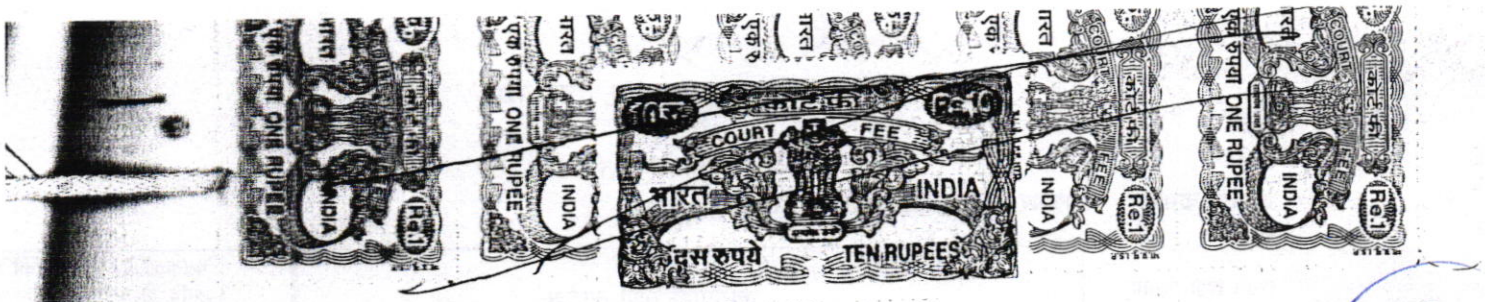

(24)

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य-प्रदेश भोपाल
अपील कमांक /2018 सर्किट खण्डपीठ भोपाल म0प्र0
PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/0826

अजहर हुसैन साबरी :1:
:53:रवीन्द्र कुमार पथिक
अटार्नी एवं प्रस्तावित अध्यक्ष
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी नगर
आयोजनसमिति. 27 हरेकृष्णा नयापुरा
कोलार रोड भोपाल म0प्र0 ..अपीलार्थी

विरुद्ध

हिलटॉप गृह निर्माण सह0संस्था मर्यादित
कार्यालय 106 वैशाली नगर भोपाल.. ..,..प्रतिउत्तरदाता

अपीलअर्न्तगत धारा 44 व अन्य मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 सह पठित अर्न्तनिहित शक्तियॉ

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 579 अपील 15-16 आदेश पारित दिनांक 15-12-17 प्रतिलिपि दी गई दिनांक 16-01-18 के विरुद्ध अपील समयावधि 45 दिन अपील प्रस्तुत करने की तिथि 25 जनवरी 2018

अपीलार्थी की ओर से निम्न अपील प्रस्तुत है।

:1: यहकि माननीय अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी अपर आयुक्त भोपाल का आदेश विधि एंव तथ्यों की दृष्टि से असंगत और त्रुटिपूर्ण होने से यह अपील प्रस्तुत है। अपीलग्रस्त आदेश की प्रतिलिपि सन्लग्न है।

प्रकरण के तथ्य :-यहकि अपीलकर्ता एक प्रस्तावित गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसने अपने अध्यक्ष व अधिकृत व्यक्ति एटार्नी के माध्यम से दिनांक 12-05-88को विकेता अब्दुल वहीद खॉ से एक बीड की भूमि 5 एकड़ 29 डेसीमल रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा कय की थी। 1962 में ही इन भूमियों का मूल्य भुगतान किया जा चुका था किन्तु रजिस्ट्री होना बाकी था। इस भूमि की रजिस्ट्री की एकप्रति उस समय के भोपाल बन्दोबस्त अधिकारी/ नायब-तहसीलदार के कार्यालय में नामान्तरण के लिये प्रस्तुत की।

स्वयं
अभिभाषक श्री रविन्द्र कुमार पथिक
द्वारा आज दिनांक 25.01.2018
को पेश।
वाचक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/18/0826

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह उपस्थित । ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 579/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15–12–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में तृतीय अपील का प्रावधान नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह अपील अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	